



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12062025-263762
CG-MH-E-12062025-263762

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2503]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2025/ज्येष्ठ 22, 1947

No. 2503]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2025/JYAISTHA 22, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 11 जून, 2025

का.आ. 2567(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 30 नवम्बर, 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 5173 (अ) तारीख 30 नवम्बर, 2024 (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपावधि अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, मध्यप्रदेश राज्य के धार जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात, दाहोद से इंदौर जाने वाली नई बीजी लाइन परियोजना, झावुआ, सरदारपुर, धार और पिथामपुर के मध्य से (204.76 किमी), स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 'क' की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "राज एक्सप्रेस एवं फ्री प्रेस" में तारीख 07 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित किया गया था।

और, उमरकोट गाँव में आक्षेप प्राप्त हुए और उन पर विचार किया गया और आक्षेप का निदान किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दीये गये हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20 'ड' की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 'ड' की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपावध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 'ड' की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इस से उपावध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले में दाहोद से इंदौर जाने वाली नई बीजी लाइन परियोजना (झाबुआ, सरदारपुर, धार और पिथामपुर) के मध्य से के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली अर्जनाधीन भूमि की संरचना सहित या संरचना रहित संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	प्रभावित क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूधारक का नाम
1	झाबुआ	रामा	उमरकोट	467	0.0133	सोहनसिंग पिता नरु जाति भील पता उमरकोट रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, उदयसिंह पिता गुलाबसिंह जाति भील पता उमरकोट रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, संजु पिता गुलाबसिंह जाति भील पता उमरकोट रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, कालुसिंह पिता गुलाबसिंह जाति भील पता उमरकोट रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, हेतु वेवा गुलाबसिंह जाति भील पता उमरकोट रामा झाबुआ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

[फा. सं. ई. ऑफिस (E 514544-103)]

धीरज कुमार, मुख्य अभियन्ता निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS [Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th June, 2025

S.O. 2567(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 5173(E) dated the 30th November, 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 30th November (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **new BG line project from Dahod to Indore (through Jhabua, Sardarpur, Dhar and Pithampur) 204.76 km in Umarkot village Jhabua district** in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily News Papers — “Free Press” & “Raj Express” dated 07th December, 2024 under sub section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, in **Umarkot** village no objections were received and competent Authority have passed the orders accordingly;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

The Land Plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person aforesaid Office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description, with or without structure, of the land under acquisition that will be affected for the construction of the new BG line project from Dahod to Indore (through Jhabua, Sardarpur, Dhar and Pithampur) in Jhabua district of Madhya Pradesh state

S. N.	Name of the Village	Taluka & District	Khasara Number	Acquisition area (Ha.)	Land Holder's Name
1	Umarkot	Taluka Rama Jila Jhabua	467	0.0133	Sohanasig Pita Naru Jaati Bhil Pata Umarakot Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Udayasinh Pita Gulaabasinh Jaati Bhil Pata Umarakot Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Sanju Pita Gulaabasinh Jaati Bhil Pata Umarakot Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Kaalusinh Pita Gulaabasinh Jaati Bhil Pata Umarakot Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami, Hetu Beva Gulaabasinh Jaati Bhil Pata Umarakot Rama Jhabua Madhya Pradesh Bhumi Swami

[F. No. E.-Office (E. 514544-103)]
DHEERAJ KUMAR, Chief Engineer Construction-IV